मैं घृणा-अपराध की शिकायत कैसे करूं?

हरेक फोन-कॉल महत्वपूर्ण है, लेकिन सभी फोन-कॉल जीवन-संकट वाले नहीं होते हैं, और ना ही सभी फोन-कॉल पुलिस-इमरजैन्सी होते हैं। मामला कोई भी हो, हम यहा सहायता के लिये हैं। आपका काम है : "सही फोन-कॉल करें।"

9-1-1 जीवन-संकट वाली इमरजैन्सी या चल रहा अपराध

बिना इमरजैन्सी वाले फोन-कॉल :	780-423-4567
टी.टी.वाय./टी.टी.डी.	780-425-1231
टैलस मोबिलिटी :	#377
रौजर्स :	*377

बाइम स्टौपर्स 1-800-222-TIPS (8477)। जानकारी www.tipsubmit.com पर औन-लाइन भी दी जा सकती है

जानकारी के लिये मैं किसे फोन करूं?

ऐडमिन्टन पुलिस रिसोर्सेस

हेट क्राइम कम्यूनिटि लाइन	780-421-3489

पीड़ित सेवा शाखा (विक्टम सर्विसैस यूनिट)

डिवीज़न

उत्तर	780-426-8160
दक्षिण-पूर्व	780-426-8260
पश्चिम	780-426-8060
डाउन-टाउन	780-421-2760
दक्षिण-पश्चिम	780-426-8363

मुखिया की परामर्ष परिषद (चीफ्स ऐडवाईज़री काउन्सिल) आठ विभिन्न समुदायिक सहकार समितियों (कम्यूनिटि लियेज़ॉन कमिटीजों) से मिलकर बनती है जिसमें शामिल हैं :
आदिवासी, एशियन, काले, इन्डो-कनेडियन, यहूदी, मुस्लिम, अफ्रिकन कनेडियन, और समलैंगिक स्त्री (लैसबियन), समलैंगिक पुरुष (गे), द्विलिंगी (बायसैक्स्चुअल), ट्रान्स-आईडैन्टिफाइड, टू-स्पिरिटेड और अनोखे (क्वीयर)

www.edmontonpolice.ca/AboutEPS/CommunityInitiatives/ChiefsCAC.aspx

प्रान्तीय संसाधन

अलबटा ह्यूमन राइट्स कमीशन गोपनीय पूछताछ लाइन	780-427-7661

केन्द्रीय संसाधन

कनेडियन ह्यूमन राइट्स कमीशन टोल-फ्री :	1-800-999-6899

Language: Hindi

घृणा-अपराध क्या है?

घृणा-अपराध वह आपराधिक अपराध है जो किसी व्यक्ति या सम्पत्ति के खिलाफ किया गया हो और जो घृणा/भेदभाव या जाति, राष्ट्रीय या जातीय मूल, भाषा, रंग, धर्म, लिंग, उम्र, मानसिक या शारीरिक अक्षमता, लैंगिक झुकाव, या इसी प्रकार की किसी अन्य बात पर आधारित पक्षपात से प्रेरित हो।

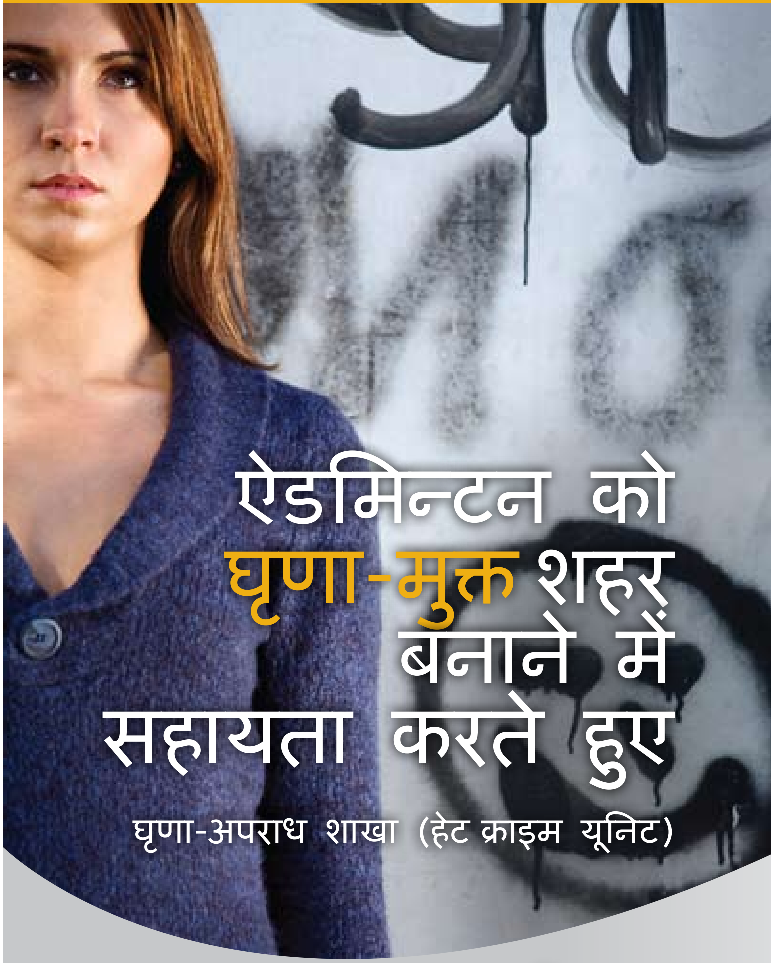

ऐडमिन्टन को घृणा-मुक्त शहर बनाने में सहायता करते हुए

घृणा-अपराध शाखा (हेट क्राइम यूनिट)

EDMONTON POLICE SERVICE

ऐडमिन्टन को घृणा-मुक्त शहर बनाने में सहायता करते हुए

घृणा-अपराध शाखा (हेट क्राइम यूनिट)

घृणा-अपराध के कानून क्यों बने हैं?
घृणा और भेदभाव के अपराधों के प्रभाव बहुत व्यापक हैं, इसके शिकार व्यक्ति के शारीरिक और भावनात्मक सदमे से भी कहीं ज्यादा। ऐसे अपराध, शिकार-व्यक्ति के वर्ग के एकाकीपन और घाव लगने की संभावना को बढ़ा देते हैं और समाज के सभी सदस्यों के लिये तनाव पैदा कर सकते हैं। यदि रोके न जाएं तो ये अपराध विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक तनाव बढ़ा सकते हैं जो समुदायों को नष्ट कर सकते हैं, और इस तरह हमारे समाज में उन लोगों के लक्ष्य और उद्देश्यों को बढ़ावा दे सकते हैं जो घृणा और असहनशीलता को उभारना चाहते हैं।

यदि मेरी घटना आपराधिक नहीं हो तो क्या होगा?
ऐसी घटनाएं जैसे कि कार्य-क्षेत्र या स्कूल में सताना, कुछ कम्पनियों या मकान-मालिकों द्वारा आप जो हैं उसके आधार पर सेवा प्रदान करने से अस्वीकार करने को उपेक्षित नहीं किया जाना चाहिये। आपको इसका उपाय उपलब्ध हो सकता है। ह्यूमन राइट्स कमीशन और अन्य संस्थाओं की आंतरिक नीतियों की अधिकतर उपेक्षा कर दी जाती है और वे इन मामलों के आपराधिक बनने से पहले सुलझाने में सहायता कर सकती हैं।

घृणा-अपराध-शिकार व्यक्ति रिपोर्ट करने से कतराते क्यों हैं?
शिकार हुए व्यक्ति रिपोर्ट करने से अक्सर कतराते हैं क्योंकि:
- दुबारा शिकार होने या बदले का डर
- गोपनीयता भंग होने का डर
- कानून लागू होने का डर और उसकी प्रतिक्रिया
- सांस्कृतिक और भाषा के अवरोध; या
- इमिग्रेशन सेवाओं का डर।

मुझे रिपोर्ट करने की परेशानी उठाने की क्या जरूरत है?
घृणा-अपराध की रिपोर्ट करना घृणा के चक्र को रोकने और दूसरों को शिकार होने से बचाने का महत्वपूर्ण कदम है। पुलिस के लिये भी घृणा-अपराध की जानकारी रखना महत्वपूर्ण है ताकि उसकी जांच और अध्ययन के द्वारा उचित कदम उठाना निश्चित किया जा सके, जिसमें शामिल है हमारे समुदाय को अधिक सुरक्षित बनाने के लिये उचित संसाधनों की व्यवस्था करना।

जब मैं पुलिस से बातचीत करता हूं तो क्या होता है?
आपसे बात करने वाला व्यक्ति आपके बारे में बुनियादी जानकारी पूछेगा, जैसे कि आपका नाम, पता, जन्म-तिथि, और आपसे संपर्क करने का सर्वोत्तम तरीका। रिपोर्ट तैयार की जाएगी और घृणा-अपराध शाखा को जांच-पड़ताल के लिये भेजी जाएगी। घृणा-अपराध शाखा की ओर से कोई जांच करने वाला व्यक्ति आपसे संपर्क करेगा। यदि संदिग्ध व्यक्ति पहचाने जा सकते हैं, तो समाधान की खोज की जाएगी। इसमें, अपराध और संबंधित व्यक्ति के अनुरूप आपराधिक अभियोग से लेकर बीच-बचाव तक हो सकता है।

क्या मैं पुलिस पर विश्वास कर सकता हूं?
पुलिस अफसर और फोन लेने वाले कर्मचारी व्यावसायिक हैं। आपकी शिकायत गंभीरता-पूर्वक ली जाएगी। अफसरों और कर्मचारियों को शिकार हुए व्यक्तियों के बारे में ट्रेनिंग मिलती है ताकि वे आपकी सहायता कर सकें।

क्या मेरी शिकायत गुप्त रखी जा सकती है?
पुलिस द्वारा एकत्रित जानकारी फ्रीडम औफ इनफरमेशन के कानूनों द्वारा सुरक्षित होती है – आपकी रिपोर्ट गोपनीय होती है। यदि अभियोग लगाया जाता है, तो कुछ जानकारी सार्वजनिक हो जाती है। लेकिन, जांच करने वाला व्यक्ति आपकी चिंताओं के बारे में चर्चा कर सकता है और आपकी गोपनीयता की जरूरतों को संतुलित रखते हुए समाधान के मार्ग ढूंढ सकता है।